

# दिल्ली विधान सभा

## समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 26 अप्रैल, 2006/वैशाख 05, 1928(शक)

संख्या- 166

**विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एडिशनल एस.एच.ओ., जहांगीरपुरी, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री जिले सिंह चौहान को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 25.04.2006 को 1620 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से 1715 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

### DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 26<sup>th</sup> April 2006/05 Baisakh 1928

No. 166

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl.SHO, Jahangir Puri, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Jile Singh Chauhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65, at 1620 hrs. on 25.4.2006.

He was released at 1715 hrs. from the same place on same date."

Siddharath Rao  
Secretary